

6

प्राकृतण क्रमांक 111/निग./अशोकनगर/भू.रा./2017/ 3566

1989.1.17.

28.9.17

112

सतपाल सिंह लोधी उर्फ सल्तू पुजा श्री  
लालाराम लोधी, निवासी- विलासा गील  
रोड, अशोकनगर, जिला अशोकनगर  
(म.प्र.) ..... आवेदक

बनाम

म.प्र.शासन ..... अनावेदक

C.F.  
11/10/17

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959  
न्यायालय तहसीलदार महोदय अशोकनगर जिला अशोकनगर के क्रमांक  
162/अ-68 /16-17 में पारित आदेश दिनांक 21.08.2017 के विरुद्ध  
निगरानी प्रस्तुत ।

2000 ft.

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न उसार प्रस्तुत है :-

20109118

1


## प्रकरण के संश्लिष्ट तत्त्व

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- तीन-निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/3566

सतपाल सिंह लोधी आदि विरुद्ध म0 प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/5/19	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक अभिभाषक श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। अनावेदक शासकीय अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 162/अ-68/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 21/08/2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए ज्वीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 10/7/19 को कलेक्टर जिला अशोक नगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	
	  (आर0के0 जैन) सदस्य 15/5/19	